

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013—माघ 26, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2013

फा. क्र. 17 (ई)-11-इक्कीस-ब(दो)13.—राज्य शासन दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-20 उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, श्रीमती जमुना भिंडे, राप्रसे, संयुक्त कलेक्टर, मंदसौर को दिनांक 18 जनवरी, 2013 से अन्य आदेश तक अथवा जिले में पूर्व में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थ अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक शक्तियां प्रदान करता है.

जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.